संख्या– 252– / VI / 2005–1(2)200

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक, पर्यटन,
उत्तरांचल, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग

देहरादून दिनांक 3 मई, 2005

विषयः– वेतन समिति (1997–99) में 16वें प्रतिवेदन के खण्ड–2 की संस्तुतियों पर मुख्य सचिव, समिति द्वारा की गइ संस्तुतियों के अनुरूप सांख्यिकीय सेवा संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन पर्यटन अनुभाग के शासनादेश संख्या–4152 / 41–2004–252 / 2004, दिनांक 23 फरवरी, 2005 के कम में आपके पत्र संख्या– 627 / 2–2–310 / 05, दिनांक 10 मार्च, 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समता समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयनुसार पर्यटन विभाग के शासनादेश संख्या–1572 / 91–96–533 / 87 दिनांक 28–08–96 के द्वारा सांख्यकि संवर्ग के वेतनमान संशोधित किए गये थे। उक्त शासनादेश दिनांक 28–08–96 एवं दिनांक 23 फरवरी,2005 के कम में वेतन समिति (1997–99) / मुख्य सचिव, समिति के संस्तुति पर पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सांख्यिकीय सेवा संवर्ग के कतिपय पदों पर इस शासनादेश के संलग्नक के स्तम्भ–3 में उल्लिखित दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू सामान्य पुनरीक्षित वेतनमानों को स्तम्भ–4 के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2001 से संशोधित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2–उपरोक्तानुसार संशोधित / उच्चीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 से 4 के मूल नियम–22 के नीचे अंकित सम्परीक्षा अनुदेश–4 के अनुसार किया जायेगा। यदि किसी अधिकारी / कर्मचारी का वेतन निर्धारण उसके द्वारा पूर्व आहरित वेतन से निम्न स्तर पर होता है, तो अन्तर की धनराशि उसे वैयक्तिक रूप से अनुमन्य करते हुये उसका पूर्व वेतन संरक्षित किया जायेगा। वैयक्तिक वेतन की धनराशि का समायोजन आगामी वेतन वृद्वि में कर लिया जायेगा।

3–उपर्युक्तानुसार सम्बन्धित पद धारक को मूल नियम–23 (1) के अन्तर्गत विकल्प का भी अधिकार होगा अर्थात वह 01 अप्रैल, 2001 से अथवा वर्तनान वेतनमान में किसी अनुवर्ती वेतन वृद्वि की तिथि से संशोधित वेतनमान का विकल्प दे सकता है। विकल्प देने की अन्तिम तिथि इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 90 दिन की अवधि तक होगी। उक्त अवधि के अन्तर्गत विकल्प न देने की दशा में यह मान लिया जायेगा कि पात्र कर्मचारी शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से विकल्प दिया गया है।

4–इस शासनादेश द्वारा पुनरीक्षित / संशोधित वेतनमान का दिनांक 01 अप्रैल, 2001 से 31 मई, 2005 तक की देय अवशेष धनराशि सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी और यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है, तो उसे उक्त अवशेष धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जायेगी। परन्तु धनराशि के जिस अंश का प्रमाण पत्र (सार्टिफिकेट) बचत पत्र उपलब्ध न हो तो वह नगद दी जायेगी। जिन अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी किये जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो रही हो अथवा जो अधिकारी / कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर सेवा निवृत्त होने वाले हो उनको अवशेष का सम्पूर्ण धनराशि का नगद भुगतान की जायेगी।

5– उक्त शासनादेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–329 वित्त अनुभाग–3 / दिनांक 17 मई, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

सुबर्द्धन
अपर सचिव

पत्र संख्या– /VI/2005–1(2)2005 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तरांचल।
2–निदेशक कोषागार, एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल देहरादून।
3–वित्त अनुभाग–3.
4–समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
5–समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
6–निदेशक, एन0आई सी0, देहरादून।
7–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव